श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर–452007
Phone: 0731-2432822, Fax : 0731-2536600
Email : lcmpenf@mp.gov.in Website :http://labour.mp.gov.in

क्रमांक 01/01/प्रवर्तन/नवम/2017/806 – 983(6) इंदौर, दिनांक 06, मई 2020

"परिपत्र"

विषय :– कर्मकारों को कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में भी शासन के निर्देश से चालू कारखानों/दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में वेतन भुगतान के संबंध में।

नोवल करोना वायरस कोविड–19 महामारी के संक्रमण की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के जिलों में लॉक डाउन की घोषणा की गई है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व में राज्य में कारखाने, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान पूर्णतः बंद किए गए थे । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाईजरी दिनांक 20.03.2020 के तारतम्य में कार्यालयीन परिपत्र दिनांक 23.03.2020 को जारी निर्देश के माध्यम से लॉक डाउन की अवधि में कारखानों /दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के बंद रहने की अवधि में कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटोती नहीं किए जाने निर्देश जारी किए गए थे। तत्पश्चात इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.03.2020 को आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में उल्लेख है कि कंडिका **iii** में उल्लेख है कि :–

All the employers, be it in the industry or in the shops and commercial establishments, shall make payment of wages of their workers, at their work places, on the due date, without any deduction, for the period their establishments are under closure during the lockdown.

अर्थात सभी उद्योग एवं दुकान एवं स्थापना के नियोजकों को उनकी लॉक डाउन के दौरान बंद स्थापनाओं में श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर नियत तिथि पर वेतन का भुगतान बिना किसी कटोती के किया जाना होगा।

वर्तमान में शासन के निर्देश से विभिन्न कारखानों एवं दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को सुरक्षा उपायों के साथ चालू किए गये है। कई औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसे कारखाने/संस्थान जिनमें शासन के निर्देश से चालू करने की अनुमति है उनमें भी कर्मकार उन्हें बुलाये जाने पर भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

ऐसी स्थिति में उद्योग एवं श्रमिक हित में समस्त श्रमिक संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संगठन के सदस्यों से अनुमति प्राप्त संस्थानों में उपस्थित होने हेतु अपील करें।

यदि नियोजकों द्वारा श्रमिकों को कार्य पर उपस्थित होने हेतु सूचना दिए जाने के उपरांत भी वे उपस्थित नहीं होते हैं तो जैसा कि माननीय् बाम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खण्डपीठ द्वारा अलाईन कम्पोनेंट प्रा0लि0 एवं अन्य विरूद्ध युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में रिट पिटीशन 10569/2020 में दिनांक 30.04.2020 को स्पष्ट किया है कि यदि श्रमिक अनुमति प्राप्त चालू कारखानों में नियोजक द्वारा कार्य पर बुलाने के पश्चात भी स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं तो प्रबंधन उनकी ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में वेतन की कटोती करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

अविरत..2..

चूँकि नियोजक श्रमिकों की अनुपस्थिति हेतु वेतन कटोती करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। अतः समस्त श्रम संगठनों एवं श्रमिकों को परामर्श दिया जाता है कि माननीय् बाम्बे हाई कोर्ट के उक्त स्पष्टीकरण एवं "कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर अनुमति प्राप्त चालू उद्योगों एवं कारखानों में कार्य हेतु उपस्थित रहें।

6/05/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश इंदौर

क्रमांक 01/01/प्रवर्तन/नवम/2017/ 806-983(2) इंदौर, दिनांक 6/5/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. समस्त श्रम संगठन, औद्योगिक संगठन व्यापारिक संगठन तथा वाणिज्यिक संगठन ,म.प्र.।
5.. समस्त कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के अधिभोगी/प्रबंधक।
6. समस्त उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ व समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
7. संचालक, समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं समस्त कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
8. समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि इसे समस्त राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित कराया जावे।
9. समस्त संभागायुक्त/जिला कलेक्टर म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/05/2020
श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश इंदौर